अध्याय – IX

निष्कर्ष

सी.ए.पी.एफ. सीमाओं की सुरक्षा और आन्तरिक सुरक्षा कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उचित कार्यालय भवन और कार्यात्मक परिवेश प्रदान करने में कमियां इन बलों के कार्यचालन में बाधा डालती हैं। सी.ए.पी.एफ. कार्मिकों को आवास सुविधाओं का प्रावधान बल के मनोबल पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है क्योंकि वे सुदूर क्षेत्रों में और विषम मौसम स्थितियों के अन्तर्गत लम्बे समय तक कार्य करते हैं।

यह देखा गया था कि बलों की कार्यालय तथा आवासीय आवास दोनों आवश्यकताओं का उचित प्रकार समाधान नहीं किया गया था। 2008-09 से 2013-14 तक की अवधि में सी.ए.पी.एफ. की कार्यालय भवनों की आवश्यकता तथा उपलब्धता में बड़ा अन्तर था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी.ए.पी.एफ. में अन्य श्रेणियों के लिए आवासीय आवास प्रदान करनें हेतु सन्तुष्टि स्तर निम्न था जो 25 प्रतिशत के सन्तुष्टि स्तर के प्रति मार्च 2014 को 3 प्रतिशत से 22 प्रतिशत के बीच था। भूमि अधिग्रहण से आरम्भ कर निर्माण कार्यकलाप अनेक समस्याओं द्वारा क्षतिग्रस्त थे । भूमि अधिग्रहणों में सी.ए.पी.एफ. मुख्यतया भूमि की पहचान करने, ए.ए./ई.एस. प्राप्त करने में अपनी विफलता, राज्य सरकारों के पास भूमि की कीमत जमा करने में विलम्ब आदि के कारण एम.एच.ए. द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफल थे। सी.ए.पी.एफ. ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के शीघ्रता से समापन के लिए राज्य सरकारों के साथ मामले पर कार्रवाई नहीं की थी परिणामस्वरूप विलम्ब हुए। इसके अलावा भूमि के अधिग्रहण में असाधारण विलम्ब करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए सी.ए.पी.एफ./एम.एच.ए. तथा राज्य राजस्व विभागों के उच्च अधिकारियों के बीच किसी योजित अन्योन्य क्रिया की कमी थी।

निर्माण कार्यों के लिए निष्पादन एजेंसी का चयन किसी मानदण्ड पर आधारित नहीं था, इस प्रकार निष्पादन एजेंसियों के बीच प्रतिस्पर्धा का लाभ छूट गया जो सी.ए.पी.एफ. को प्राप्त हो सकता था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि असम रायफल्स ने कोई विस्तृत अनुमान तैयार किए बिना एकमुश्त आधार पर कार्य सौंपे थे जिससे जी.एफ.आर. तथा एम.एच.ए. आदेशों का उल्लंघन हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी.ए.पी.एफ./पी.डब्ल्यू.ओ. एक उचित समय सीमा में पूर्ण क्षेत्र और विनिर्देशन के साथ प्राथमिक नक्शों को अन्तिम रूप देने में विफल हुए। इससे कार्यों की अनुमानित लागत बढ़ गई और निष्पादन में विलम्ब हुआ। पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा तैयार किए गए अनेक अनुमान उच्च थे जिसके कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान और अदेय लाभ मिले। पी.डब्ल्यू.ओ. ने विस्तृत योजनाओं, नक्शों तथा विनिर्देशनों के साथ वास्तविक और निश्चित अनुमान तैयार नहीं किए थे जिसके कारण कार्य निष्पादन के समय पर विशाल विचलन हुए। बाधा मुक्त स्थल सौंपने में सी.ए.पी.एफ./पी.डब्ल्यू.ओ. की विफलता, विन्यास योजना नक्शों तथा खाका तैयार करने में लगातार परिवर्तन के परिणामस्वरूप अधिकांश मामलों में कार्य के समापन में विलम्ब हुआ। पी.डब्ल्यू.ओ. उचित विलम्ब विश्लेषण हेतु अपेक्षित डाटा का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने में विफल रहा और संविदा खण्डों के अनुसार परिनिर्धारित हर्जाने न लगाकर ठेकेदारों को लाभान्वित किया। ठेकागत प्रावधानों के अनुपालन के लिए सी.ए.पी.एफ./पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा उचित निगरानी तन्त्र स्थापित नहीं किए गए थे परिणामस्वरूप अस्वीकार्य/अधिक भुगतान हुए।

लेखापरीक्षा जांच में गुणवत्ता आश्वासन उपायों में चूकों का पता चला क्योंकि सी.पी.डब्ल्यू.डी. के गुणवत्ता आश्वासन शाखा द्वारा निरीक्षण की कोई प्रणाली नहीं थी और यह देखा गया था कि पी.डब्ल्यू.ओ. की गुणवत्ता आश्वासन शाखा नहीं थी। लेखापरीक्षा के दौरान कार्यान्वयक एजेंसियों द्वारा सामग्री तथा जल का परीक्षण न करने के दृष्टान्त भी देखे गए थे। सी.पी.डब्ल्यू.डी./पी.डब्ल्यू.ओ. तथा ग्राहक सी.ए.पी.एफ. के बीच एम.ओ.यू./अनुबन्ध में तीसरी पार्टी निरीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन का कोई प्रावधान नहीं था जिसके कारण सी.ए.पी.एफ. के सभी कार्यों में तीसरी पार्टी निगरानी का पूर्णतया अभाव था। लेखापरीक्षा में ऐसे मामले भी पाए गए जहॉ सी.ए.पी.एफ. अभिप्रेत

प्रयोजन हेतु सृजित परिसम्पत्तियों का उपयोग सुनिश्चित करने में विफल रहे। भवनों का अधिकार लेने के बाद उनकी उचित देखभाल और स्थायित्व के लिए अनुरक्षण अनिवार्य है। नियमित तथा व्यवस्थित अनुरक्षण अनुसूची (नेमी, वार्षिक, विशेष, आवधिक आदि) परिसम्पत्तियों का स्थायित्व और कार्यचालन परिवेश की गुणवत्ता बढ़ाती है। स्थल दौरों के दौरान लेखापरीक्षा में सरकारी भवनों, बैरकों और जवानों के आवासीय आवासों का खराब अनुरक्षण देखा गया चूंकि अनुरक्षण प्रक्रियाएं नदारद थीं अथवा व्यापक रूप से संकट में थी।

एजेंसी प्रभारों के भुगतान पर सी.पी.डब्ल्यू.डी. के अतिरिक्त पी.डब्ल्यू.ओ. को कार्यों को सौंपने में कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दर्शाता क्योंकि सी.पी.डब्ल्यू.डी. के अतिरिक्त पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा निष्पादित कार्यों में भी विलम्ब और अतिरिक्त लागत विद्यमान थीं। लेखापरीक्षा ने कार्यान्वयक एजेंसियों के कार्यचालन का तुलनात्मक विश्लेषण किया जिसने दर्शाया कि एजेंसियां समतुल्य थीं जब विभिन्न प्राचलों पर तुलना की गई। सभी एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्यों में विलम्ब, विचलन और अतिरिक्त लागत के मामले देखे गए थे जब कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने विपथन के उच्चतम मामले दर्शाए। यह सम्भवत: इस तथ्य के कारण था कि सी.ए.पी.एफ. के पास निर्माण कार्यकलापों की निगरानी के लिए कोई सुपरिभाषित निरीक्षण नीति नहीं थी। उच्च अधिकारियों द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था और जहॉ सी.ए.पी.एफ. के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था वहॉ उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन के सम्बन्ध में कोई निरीक्षण नोट जारी नहीं किया गया था। पी.डब्ल्यू.ओ. में वेब आधारित परियोजना निगरानी प्रणाली विद्यमान नहीं थी जिसके कारण सी.ए.पी.एफ. की निर्माण कार्यकलापों पर तात्कालिक अद्यतन स्थिति तक पहुँच नहीं थी। सी.ए.पी.एफ. ने चालू कार्यों की निगरानी नहीं की थी परिणामस्वरूप अनेक मामलों में निम्न कोटि कार्यों का निष्पादन हुआ। यद्यपि एम.एच.ए. ने सी.ए.पी.एफ. के निर्माण कार्यों की निगरानी सी.ए.पी.एफ. तथा कार्यान्वयक एजेंसियों के अधिकारियों की तिमाही बैठक द्वारा करता है परन्तु लाभदायक परिणाम

नहीं देखे गए थे क्योंकि परियोजनाएं अब भी विलम्बित थीं और परियोजनाओं में अतिरिक्त लागत अनियंत्रित थीं। सी.ए.पी.एफ. द्वारा कार्यों के पर्यवेक्षण का लगभग अभाव मामलों की प्रेरक स्थिति नहीं दर्शाता था और इंजीनियरी शाखा का न होना कोई तर्क संगत बहाना नहीं था। कुल मिलाकर एम.एच.ए., सी.ए.पी.एफ. और कार्यान्वयक एजेंसियों के बीच अपेक्षित समन्वय और पारस्परिक वचनबद्धता की अनुभूति नदारद थी।

नई दिल्ली
दिनांक : 17 नवम्बर 2015

(मुकेश प्रसाद सिंह)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 23 नवम्बर 2015

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक